(Authoritative English text of this Department Notification Number PCH-HA(1) 11 / 2010-A.E. dated as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India)

.Government of Himachal Pradesh
Department of Panchayati Raj.

...

NO.PCH-HA (1) 11 /2010-A.E. **Dated Shimla-171 009 the 23rd Feb, 2015.**

Notification

Whereas the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Assistant Engineers in Zila Parishads) Rules, 2013 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 22nd July, 2013 for inviting objections and suggestions from the general public, vide this department notification of even number dated 9th July, 2013 as required under section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994);

And whereas, the objection(s)/suggestion(s) received during the stipulated period have been duly considered by the State Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:-

Short title. 1. These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Assistant Engineers in Zila Parishads) Rules, 2015.

Definitions. 2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994; and

(b) "Form" means form appended to these rules.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

Nomenclature and number of Posts.	3. There shall be such number of posts of Assistant Engineers as sanctioned by the State Government in the Zila Parishads.
Scale of Pay.	4. The Scale of Pay for the post of Assistant Engineer shall be Pay Band-II - Rs.15660-39100 + 5400 Grade Pay.
Type of post (whether selection or non selection post.).	5. Selection Post.
Period of Probation.	6. The Assistant Engineer shall remain under probation for a period of two years subject to such further extension for a period of not exceeding one year, as may be ordered by the Director in special circumstances and reasons whereof shall be recorded in writing.
Mode of appointment.	7. 100% by promotion, failing which on secondment basis.
Method of promotion.	8. The Assistant Engineers shall be appointed by promotion from amongst regular graduate Junior Engineers of Zila Parishads having at least 3 years regular service or regular combined with continuous ad-hoc service rendered, if any, in the grade and in case of non-graduate Junior Engineers 7 years regular service or regular combined with continuous ad-hoc service rendered, if any, in the grade, on the basis of inter-se-seniority maintained at the State level.
Appointing Authority.	9. (1) The Chief Executive Officer of Zila Prishad concerned shall be the appointing authority.
Departmental Promotion Committee.	10. As may be constituted by the Director from time to time.

Reservation.	11. The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Backward Classes/ Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
Job Chart.	12. As may be specified by the Director Panchayati Raj from time to time.
Training & Examination.	13. The members of the service shall have to qualify such examination and shall undergo such training as may be specified by the Director Panchayati Raj from time to time.
Power to relax.	14. Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order relax any of the provisions(s) of these rules with respect to any class or category of person (s) or post (s).
Repeal & Savings.	15. (1) On and from the date of commencement of these rules, the Scheme notified for the appointment of Assistant Engineers on contract basis by Zila Parishad vide notification No. PCH-HB (1) 36/01-AE, dated 20th August. 2001 shall stand repealed.
	(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken, under the scheme so repealed, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order

(Manisha Nanda)

Principal Secretary (Panchayati Raj) to the Government of Himachal Pradesh.

Endst.No.PCH-HA- (1) 11/2010-A.E-38433-582 Shimla-9, dated the 23rd Feb. -2015

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All the Principal Secretaries/ Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.

2. The Additional Secretary (GAD) to the Government of Himachal Pradesh in reference decision taken in the Cabinet Meeting held on 13-2-12015.
3. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
4. Assistant Law Advisor and Under Secretary (Law) Himachal Pradesh Government.
5. All the District Panchayat Officer-cum-Secretary, Zila Parishad H.P.
6. Principals, PRTI, Mashobra, Thunag, Baijnath.
7. All the Block Development Officers-cum-Executive Officers of Panchayati Samitis in Himachal Pradesh.
8. Controller, Printing and Stationary Department, H.P. Shimla-171005 with the request that the above notification may kindly be published in Rajpatra.

(Rakesh Kumar Korla)
Deputy Secretary (Panchayati Raj) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग

संख्या –पीसीएच–एचए–(1) 11/2010–ए0ई0 तारीख, शिमला–171009, –2015

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् में सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2013 के प्रारूप को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 9 जुलाई, 2013 द्वारा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित, जनसाधारण से आपेक्ष और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए, तारीख 22 जुलाई, 2013 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के दौरान प्राप्त हुए आक्षेपों/सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

संक्षिप्त नाम। 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषदों में सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2015 है।

परिभाषाएं। 2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है; और

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं।

(2) उन शब्दों और पदों को जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

पदनाम तथा पदों की संख्या।	3. सहायक अभियन्ता के पदों की, जिला परिषदों में, ऐसी संख्या होगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई हो।
वेतनमान।	4. सहायक अभियन्ता के पद के लिए वेतनमान, पे बेण्ड–II–15660–39100/– रूपए +5400/– रूपए ग्रेड पे होगा।
पद का प्रकार (चयन अथवा अचयन पद)।	5. चयन पद।
परिविक्षा की अवधि।	6. सहायक अभियन्ता दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा निदेशक विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
नियुक्ति की पद्धति।	7. शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सैकेण्डमैंट आधार पर।
प्रोन्नति की पद्धति।	8. सहायक अभियन्ता को राज्य स्तर पर तैयार की गई पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर, जिला परिषदों के नियमित स्नातक कनिष्ठ अभियन्ताओं में से प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिनका कम से कम तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई है, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो और गैर स्नातक कनिष्ठ अभियन्ताओं की दशा में सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई है, को सम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित सेवाकाल

हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।	9. सम्बद्ध जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी होगा।
विभागीय प्रोन्नति समिति।	10. जैसी निदेशक द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।
आरक्षण।	11. सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ पिछड़े वर्गों/ अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए, सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।
जॉब चार्ट।	12. जैसा निदेशक, पंचायती राज द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।
प्रशिक्षण और परीक्षा।	13. सेवा के सदस्यों को ऐसी परीक्षा अर्हित करनी होगी और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जैसा निदेशक, पंचायती राज द्वारा समय–समय पर विहित किया जाए।
शिथिल करने की शक्ति।	14. जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

निरसन और व्यावृतियाँ।

15. (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख को और से, अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0–एच0बी0(1)36/01–ऐई, तारीख 20 अगस्त,2001 द्वारा, जिला परिषद द्वारा संविदा आधार पर सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति हेतु अधिसूचित स्कीम, निरसित हो जाएगी।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित स्कीम के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

(मनीषा नंदा)
प्रधान सचिव (पंचायती राज)
38433–582 हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0सं0:पी0सी0एच0–एच0ए0–(1)11/2010ए0ई0– तारीख, शिमला–9, 23/2/2015.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को मंत्रीमण्डल की बैठक दिनांक 13–2–2015 के निर्णय के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
5. समस्त जिला पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
6. प्राचार्य, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा/बैजनाथ।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
8. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171005।

(राकेश कुमार कोरला)
उप–सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।